न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–01, केकड़ी. (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – आशीष बैंदाड़ा (आर.जे.एस.)
फौजदारी विविध प्रकरण संख्या – 78/2021
सी.आई.एस. संख्या – 105/2021

1. प्रीति पत्नी रामसहाय पुत्री कैलाशचंद

2. कनिष्क उम्र 7 वर्ष पुत्र रामसहाय

3. दर्शिका उम्र 4 वर्ष पुत्री रामसहाय

प्रार्थी संख्या 02 व 03 नाबालिग जरिये कुदरती वली माता श्रीमती प्रीति निवासी लसाड़िया तहसील केकड़ी हाल निवासी खवास तहसील केकड़ी जिला अजमेर

–प्रार्थीगण

ब ना म

रामसहाय पुत्र महावीर प्रसाद निवासी ग्राम लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर

–अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र वास्ते धारा 125 जा.फौ. वास्ते अंतरिम भरण पोषण

उपस्थित:–

1. श्री मुकेश गढ़वाल, योग्य अभिभाषक, प्रार्थिया की ओर से।
2. श्री नवल किशोर पारीक, योग्य अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

आदेश **दिनांकः 06 जून 2026**

1. प्रार्थीगण ने हस्तगत प्रार्थना पत्र वास्ते भरण पोषण राशि दिलवाने बाबत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा कथन किया गया है कि प्रार्थीया प्रीति का विवाह दिनांक 28.05.2011 को अप्रार्थी रामसहाय के साथ सम्पन्न हुआ। विवाह के समय प्रार्थीया के परिवारजनों ने सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम किये एवं सामाजिक व्यय आदि किये थे। मूल प्रार्थना पत्र के निस्तारण में काफी समय लगने की संभावना है। भरण पोषण व निर्वाह भत्ता राशि के बिना प्रार्थीया का जीवन यापन करना दुभर हो गया है। प्रार्थीया अपने स्वयं का एवं अपने बच्चों का भरण पोषण करने में असमर्थ है। अतः उसके एवं उसके बच्चों के

भरण–पोषण, शिक्षा, खाना आहार आदि के लिये करीब 10,000/– रूपये अंतरिम भरण पोषण की राशि दिलाये जाने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थी रामसहाय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का पृथक से जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया उससे बिना किसी कारण के अलग रहकर निवास करने की मांग हेतु लड़ाई–झगड़ा करती थी। अप्रार्थी अपने माता–पिता का इकलोता पुत्र है एवं उसके माता–पिता भी वृद्ध है, जिनकी सेवा का भार भी अप्रार्थी पर ही है। प्रार्थीया जयपुर में कार्य कर रही है, जिससे उसके एवं उसके बच्चों का भरण पोषण सुचारू रूप से हो रहा है। अप्रार्थी वर्तमान में बेरोजगार है एवं उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रालवी का अवलोकन किया हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीया प्रीति एवं अप्रार्थी रामसहाय के वैध रूप से विवाहित पति–पत्नी होने एवं उनके दो बच्चे बाबत् तथ्यों के संदर्भ में कोई विवाद नहीं है। ऐसे में प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के विवाहित पति–पत्नी होने बाबत् तथ्यों के संदर्भ में कोई विवाद नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी का विधिक एवं नैतिक दायित्व है कि वह अपनी वैध रूप से विवाहिता पत्नी एवं बच्चों का उचित रूप से भरण–पोषण करे। वस्तुतः प्रार्थीया द्वारा स्वेच्छया अप्रार्थी का परित्याग किया गया है या नहीं अथवा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के साथ कोई मारपीट या क्रूरता कारित की गई है अथवा नहीं, उक्त सभी तथ्य साक्ष्य का विषय है, जिनके संदर्भ में मूल प्रकरण में पक्षकारान की साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकती है। अप्रार्थी ने प्रार्थीया द्वारा ससुराल में नहीं रहने बाबत लिखित राजीनामा होना बताया है, जिसको प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा अस्वीकार किया गया। उपरोक्त दस्तावेज साक्ष्य के मोहताज है, जिसका विवेचन इस स्तर पर नहीं किया जा सकता। जहां तक अप्रार्थी की आय का संबंध है तो प्रार्थिया द्वारा इस संबंध में कोई प्रलेखीय दस्तावेज पेश नहीं किए गए हैं किंतु यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अपनी पत्नी का भरण पोषण पति का प्राकृतिक मौलिक, सामाजिक व नैतिक कर्तव्य एवं सर्वप्रथम दायित्व है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा पक्षकारान की आर्थिक एवं सामाजिक हैसियत को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विनम्र मत में प्रार्थीया प्रीति को 3,000/– रूपये एवं उसके दोनों बच्चों हेतु प्रत्येक को 1,000/– रूपये

अप्रार्थी रामसहाय से बतौर अंतरिम भरण पोषण प्रतिमाह दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

4. अत: प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखतें हुए हस्तगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 125 जा.फौ. अंतरिम भरण पोषण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

5. अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 125 जा.फौ. अंतरिम भरण पोषण स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी रामसहाय प्रार्थिया प्रीति को प्रतिमाह 3,000/–रूपये (अक्षरे तीन हजार रुपये) एवं उसके दोनों बच्चों हेतु प्रत्येक को 1,000/– रूपये प्रतिमाह प्रत्येक उतरवर्ति माह की 10 तारीख तक अदा करेगा। उक्त आदेश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से प्रभावी होगा तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने की दिनांक से इस आदेश की दिनांक तक बकाया राशि अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक से दो माह में एक मुश्त प्रार्थीया को अदा की जाएगी। प्रार्थी संख्या 02 एवं 03 के बालिग होने तक उनको देय राशि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थिया को अदा की जायेगी। यदि प्रार्थीया अन्य किसी प्रकरण में अप्रार्थी से भरण पोषण की राशि प्राप्त कर रही है तो वह राशि इस राशि में समायोजन योग्य होगी।

(आशीष बेंदाड़ा)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1

केकड़ी, जिला–अजमेर

6. आदेश आज दिनांक 06.06.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष बेंदाड़ा)

अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या–1

केकड़ी, जिला–अजमेर

SIYARAM VERMA
Steno Gr.II
"Authenticated Document"
Digitally signed by SIYARAM VERMA
Date: 2026.06.06 13:19:28 +0530